International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)

E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

भारत में महिला शिक्षा एवं लिंग भेद की समस्या : एक अध्ययन

Vimla kumari

Research scholar (political science)
Jai Narayan vyas University, Jodhpur

प्रस्तावना

भारतीय संविधान समानता के सिद्धान्त (संविधान की प्रस्तावना और भाग–III में समानता का सिद्धान्त) की बात करता है जिसके आधार पर महिलाओं को लिंग भेद के आधार पर होने वाले किसी भीभेदभाव के खिलाफ सुरक्षा हासिल है। इस प्रकार संविधान में वर्णित सभी अधिकार और स्वतंत्रताएं जितनी पुरूषोंपर लागू होती है उतनी ही महिलाओं पर भी लागू होती है।समाज में व्याप्त जेंडर (लिंग) आधारित भेदभावों और लडकियों व महिलाओं की शिक्षातथा उनकेसर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुये इस दिशा में किए गए सवैधानिक प्रावधानों, विभिन्न नीतियों, आयोगोंऔर समितियों द्वारा पहचाने गए मुद्‌दों पर समय–समय पर समाज ध्यान आकर्षित किया गया है। भारतीयसमाज में लम्बे समय से लिंग आधारित भेदभाव रहे है और इस कारण लड़कियों की स्थिति निम्न दर्जे की रहीहै। इसका परिणाम है कि भारतीय संविधान में समानता के सिद्धान्त को सम्मिलित किया गया और राज्य व केन्द्रसरकारों द्वारा जेंडर विभेदीकरण का सामना करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाये गये। समय–समय परगठित समितियों और आयोगो ने भी विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे जेंडर (लिंग) विभेदीकरण की ओर ध्यान आकर्षितकर उनके उन्मूलन के लिए सुझाव दिए तथा इस बात के महत्व को स्वीकार किया गया कि यदि महिला शिक्षाको सही दिषा नहीं मिलेगी तो समाज में व्याप्त लिंग भेद की समस्या का समाधान करना कठिन ही नहीं असंभवहोगा तथा महिलाओं का सर्वागींण विकास नहीं हो पायेगा। भारतीय संविधान में महिला शिक्षा के संवैधानिकप्रावधान इस प्रकार है।

भारतीय संविधान में महिला शिक्षा के लिए किए गए विशेष प्रावधान इस प्रकार है :

अनुच्छेद 21(ए)–संविधान के 86 वें संशोधन एक्ट 2002 के तहत एवं अनुच्छेद 21(ए) के अनुसार6–14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षाप्राप्त करने मूलभूत अधिकार है।

इस प्रकार शिक्षान केवल किसी एक का अधिकार है न बल्कि संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार होनेके कारण और प्रत्येक लडकी व महिला भी इसकी हकदार है। मूलभूत अधिकारों के अलावा राज्य के नीतिनिर्देशक सिद्धान्तों में भी महिलाओं के लिए कुछ प्रासंगिक प्रावधान किए गए है जैसे कि :

अनुच्छेद 39(डी) के तहत पुरूष और महिला दोनो के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदानकरने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 51 A (e)देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि किसी भी ऐसे प्रचलित औरप्रतीकात्मक व्यवहार को जो महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक हो उसे हतोत्साहित करने का प्रावधानकरता है।

सर्वप्रथम भारतीय सविंधान यह सुनिश्चित करता है कि महिला एवं पुरूष दोनो के साथ समान बर्ताव किया जाए। अनुच्छेद–14, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता व कानून केतहत समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15(1) कहता है कि राज्य को किसी भी नागरिक केसाथ धर्म, नस्ल जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 16(1) एवं(2) सामान्य तौर भेदभाव को रोकता है और व्यवसाय में तथा राज्य के अधीन काम करने वाले लोगो के बीचलिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकता है।

संविधान में तीन अनुसूचियां है केन्द्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। शिक्षासमवर्ती सूची काविषय है। अतः शिक्षाके विषय में केन्द्र और राज्य दोनो को समान रूप से कानून बनाने की स्वीकृति प्रदानकरता है। संविधान मानता है कि कुछ मामलों में महिलाओं के साथ सही बर्ताव नहीं हुआ है। उन्हें समान दर्जा नहीं मिला है और उन्हें निम्न दर्जे पर रखा गया है। इस अन्याय को समान करने और समानता को सुरक्षितकरने के लिए संविधान राज्य को महिलाओं के पक्ष में कुछ विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है जैसा किअनुच्छेद 15(3) कहता है कि ''राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है''।

इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुये भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ पदों को महिलाओं के लिएआरक्षित करने को वैध माना है। इसी तरह महिला कॉलेजों में कुछ पदों पर महिलाओं के लिए प्राथमिकतारखना अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं माना जायेगा। तीसरा, सविधान राज्य को यह दायित्वदेता है कि वह समाज के कमजोर तबके की स्थिति में सुधार लाने हेतु विशेष प्रयास करें जिसमें महिलाएं भीशामिल होगी, चौथा संविधान राज्य को यह भी अनुमति देता है कि महिलाओं के शोषण को रोकने के

लिए केलिए कदम उठायें। पहली दो बाते मूलभूत अधिकारों के तहत कही गयी है और तीसरी व चौथी बात राज्य केनीति निर्देशक सिद्धान्तों में कही गयी है जिन्हें देखने का दायित्व राज्य का है।

भारत सरकार ने समाज में व्याप्त लिंग आधारित भेदभाव को मध्यनजर रखते हुए महिलाओं केसर्वांगीण विकास और समान अवसर की उपलब्धता के लिए नीतियों, आयोगों और समितियों का समय–समय परगठन किया राष्ट्रीय शिक्षानीति 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, 1992 और महिला सशक्तिकरण नीति 2001, महिलाशिक्षाऔर जेण्डर (लिंग) आधारित भेदभाव की व्याख्या करने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज कहे जा सकते है। जोइस प्रकार से है :–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

राष्ट्रीय शिक्षानीति 1986 कहना था कि ''लडकियों की शिक्षापर बल केवल सामाजिक न्याय केकारण नहीं बल्कि इसलिए देना होगा क्योंकि यह सामाजिक रूपांतरण को गति प्रदान करता है। 1986 कीराष्ट्रीय शिक्षानीति के बिदु 4.2 के अनुसार महिलाओं की समानता हेतु शिक्षाका उपयोग महिलाओं की स्थितिमें बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जायेगा। इसके तहत अतीत से चली आ रहीविकृतियों और विषमताओं को खत्म करना, शिक्षा–व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में करना, महिलासशक्तिकरण, नवीन मूल्यो की स्थापना, पाठ्य सामग्री की पुर्नरचना, शिक्षण संस्थाओं में महिला विकास के लिएकार्यक्रम प्रारम्भ करना आदि शामिल है। शिक्षानीति के बिन्दु 4.3 में महिला शिक्षाके प्रसार और प्रारम्भिक षिक्षाके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। विभिन्न स्तरों पर तकनीकीऔर व्यावसायिक शिक्षामें बालिका शिक्षाकी भागीदारी और लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने पर विशेषध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रोग्राम ऑफ एक्शन (1992)

प्रोग्राम ऑफ एक्शन (1992) में महिला सशक्तिकरण के तहत किये गये प्रयासों में महिलाओं काआत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास बढाना, राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं के योगदानों कोपहचान, शिक्षारोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकल्पों को चुनने की क्षमता का विकास करना प्रमुख है। यहध्यान में रखते हुये कि महिलाओं की सभी क्षेत्रों में बराबर भागीदारी हों, कानूनी साक्षरता तक उनकी पहुचं हो,तथा उनके अधिकारों से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करना तथा समाज में जिन अधिकारों की वे हकदार है उन्हेंदिलाना है।

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति, 2001

जेण्डर सम्बन्धी असमानता कई रूपों में उभरकर सामने आती है जिसमें सबसे प्रमुख है – लिंगानुपातमें गिरावट सामाजिक रूढिवादी सोचः बालिकाओं के प्रति भेदभाव भारत के कई भागों में आज भी जारी है।इसके तहत महिलाओं और लडकियों के लिए शिक्षातक समान पंहुच को सुनिश्चित करने, भेदभाव खत्म करने,शिक्षाको जन–जन तक पंहुचाने, निरक्षरकता दूर करने, लिंग संवेदी शिक्षापद्धति बनाने, लडकियों का नामांकनबढाने महिलाओं द्वारा रोजगार और तकनीकी कौशल के साथ–साथ जीवन पर्यन्त शिक्षण को सुलभ बनाने केलिए शिक्षा की गुणवता में सुधार के लिए विशेष उपाय किए जायेंगे। माध्यमिक और उच्च शिक्षामें लिंग भेद कोकम करने की ओर ध्यान आकर्षित किया जायेगा। लिंग भेद के मुख्य कारणों में से एक के रूप में लैंगिकरूढिबद्धता का समाधान करने के लिए शिक्षापद्धति के सभी स्तरों पर लिंग संवेदी कार्यक्रम विकसित किए जायेंगे।

लडकियों की शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति,2001 ने उठायी वह इस प्रकार है – एक तरफ संविधान, विधानों, नीतियों योजनाओं में प्रतिपादित लक्ष्यों औरदूसरी और भारत में महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में परिस्थिति जन्य साक्ष्य वास्तविकता के बीच अभी भीबहुत बडा अन्तर है। ''भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट समानता की ओर में इसका विस्तृतरूप से विश्लेषण किया गया है ।

भारत सरकार ने स्वतन्त्रता के बाद महिला शिक्षाके महत्व कों स्वीकार करते हुये कई आयोगों औरसमितियों का गठन किया। इसके तहत महिला शिक्षाके मार्ग में बाधक तत्वों को पहचान कर इनके निवारण केलिए कई सुझाव भी दिये। जो इस प्रकार है :–

- **विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग– 1948–49**

डॉ0 राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने महिलाशिक्षाके महत्व को स्वीकार करते हुये कहा कि लोगो की राय ऐसी मालूम पडती है कि 13–14 वर्षकी आयु से 18 वर्ष की आयु तक लडके लडकियों की शिक्षाके विद्यालय अलग–अलग हों। आयोग नेअनुभव किया कि यह स्पष्ट नहीं होता कि इस विचारधारा का आधार रीति रिवाज है या अनुभव।आयोग की सिफारिशों के अनुसार कॉलेज में प्रवेश की आयु 18 वर्ष हों। अतः कॉलेज में सहशिक्षाहोसकती है। जैसा कि आज मेडिकल कॉलेज में है। इस स्तर पर अलग कॉलेज बनाने से अनावश्यक रूप से खर्चमें वृद्धि होगी। यथासंभव कॉलेज स्तर पर सहशिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाये। महिलाओं को पुरूषों के समानशैक्षिक अवसर प्रदान किये जायें। महिलाओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षाप्राप्त हो ताकि वे अच्छीमाता और गृहणी बन सके। स्त्रियों की शिक्षामें गृह–अर्थशास्त्र गृह प्रबन्धक का समुचित प्रावधान शिक्षाव्यवस्थामें किया जाये।

- **माध्यमिक शिक्षा आयोग –1952–53**

डॉ. ए. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित माध्यमिकशिक्षाआयोग (मुदालियर कमीशन) ने अपनी रिपोर्ट में महिला शिक्षाके महत्व को स्वीकार करते हुयेकहा कि संविधान के अनुच्छेद 16ए के आधार पर शिक्षाऔर रोजगार के क्षेत्र में कोई भेदभाव नहींकिया जा सकता इसलिए शिक्षाके क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। एक लोकतान्त्रिकसमाज में महिला और पुरूष दोनो की शिक्षापर ध्यान दिया जाना चाहिये।

- **कोठारी शिक्षा आयोग –1964–66** :–

भारत सरकार ने 14.07.1964 को पारित प्रस्ताव के अनुसार प्रो0दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जो सभी स्तरों पर शिक्षाके विकासएवं शिक्षाकी राष्ट्रीय पद्धति पर सुझाव दें।

आयोग के मत में महिला शिक्षा के विकास के लिए दो प्रकार की नीति अपनानी पडेगी–प्रथम राष्ट्रीयस्त्री शिक्षासमिति द्वारा अनुमोदित विशेष कार्यक्रमों पर बल देना तथा द्वितीय सभी स्तरों पर महिला शिक्षापरध्यान केन्द्रित करना। अगले कुछ वर्षों तक स्त्रियों की शिक्षाको एक मुख्य कार्यक्रम माना जाये तथा इसकेबीच में आने वाली बाधाओं को दूर करने के साथ–साथ महिला एवं पुरूष शिक्षा के अन्तर को कम किया जाये।इस प्रयोजन के लिए विशेष योजनायें बनायी जाये और उनके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था अनिवार्य रूप सेकी जाये। केन्द्र और राज्यों दोनो में स्त्री शिक्षा की निगरानी के लिए एक विशेष संगठन स्थापित किया जाये।यह संगठन सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों को स्त्री शिक्षाके कार्यक्रमों के आयोजन और क्रियान्वयन केलिए एक जगह लाये जाये। अतः यह आवश्यक होगा कि स्त्रियों को प्रशिक्षण और रोजगार देने की समस्याओंकी और पर्याप्त ध्यान दिया जाये।भारत सरकार ने स्त्री शिक्षापर सुझाव देने के लिए समितियों का भी गठन किया जो इस प्रकार है :–

- **राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति–1958**

भारत सरकार ने दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में एक समिति कागठन किया जिसका कार्य महिला शिक्षाके प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर सुझाव देना था। इसकेअनुसार कुछ समय के लिए महिला शिक्षाको एक विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार किया जाये।आवश्यक धन की विशेष रूप से व्यवस्था करते हुये प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अधिक शिक्षासुविधा प्रदान की जाये। केन्द्रीय स्तर पर एवं राज्य स्तर पर महिला शिक्षापरिषद हो, प्रत्येक राज्य मेंमहिला शिक्षापरिषद हो और लडकियों की शिक्षाके लिए पृथक निदेशालय हों। अतः इस समिति कीसिफारिशों के आधार पर 1959 में राष्ट्रीय महिला शिक्षापरिषद की स्थापना की गयी और महिला शिक्षापर विचार करने के लिए पृथक इकाई भी नियुक्त की गयी।

- **हंसा मेहता समिति 1962** :–

लडके और लडकियों के पृथक पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं स्थापना परविचार करने के लिए श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इसकेअनुसार हम जिस गणतांत्रिक और समाजवादी ढंग के समाज की कल्पना करते हुये उसमें शिक्षा कारूप वैयक्ति योग्यता अभिरूचि एवं भावों पर निर्भर होगा जिसका लिंग से कोई सम्बन्ध नहीं होगाइसलिए ऐसे समाज में लिंग के आधार पर भेदभाव करना आवश्यक नहीं है। इसके अनुसार लडकेलडकियों के लिए पाठ्यक्रम बनाने के लिए व्यावहारिक आधार पर मानना होगा।

- **भक्तवत्सलम् समिति– 1963** :–

1963 में मद्रास के मुख्यमंत्री भक्तवत्सलम की अध्यक्षता में गठितसमिति ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लडकियों की शिक्षाके सम्बन्ध में जनता के सहयोग के अभाव कीजांच की। इसके द्वारा की गयी सिफारियों के अनुसार विवाहित महिलाओं को कम से कम पार्ट टाईमऔर स्कूल, मदरसा में अध्यापिका के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए एवं महिलाशिक्षाके प्रति विरोध समाप्त करने के लिए पर्याप्त प्रचार करने में जनता के सहयोग की मांग की।प्रचार कार्यक्रमों एवं साधनों के द्वारा राज्य सरकारें शिक्षाके प्रति जनमत बनाये। सभी प्राथमिक स्कुलोंमें अध्यापिकाओं की नियुक्ति अधिक से अधिक एवं अनिवार्य रूप से की जाये। इससे बालिकाओं कीविधालय भेजने हेतु अभिभावकों को प्रोत्साहन मिलेगा।

- **समानता की और ''महिलाओं की स्थिति पर गठित समिति – 1971 – 74 की रिपोर्ट –**

(22 सितम्बर1971) इसकी रिपोर्ट के अनुसार देश में हो रहे सामाजिक और आर्थिक बदलावों ने महिला सुधार सेजुडी समस्याओं को पेश किया। भारत सरकार को इस कारण महिलाओं के अधिकार एवं हैसियत सेजुडे प्रश्नों की विस्तृत पडताल की आवश्यकता के कारण विशेष रूप से शिक्षानीति में सुझाव दे सके।इसके उद्देश्य इस प्रकार है :–

महिलाओं की सामाजिक स्थिति उनकी शिक्षारोजगार पर संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों के असरकी जांच पडताल करना। कानून शिक्षारोजगार, जनसंख्या एवं नीतियों के क्षेत्र में उन कारकों को निर्धारितकरना जो इन क्षेत्रों में महिलाओं की धीमी गति

के लिए उतरदायी है। समिति द्वारा महिला शिक्षापर की गयीसिफारिशें दो भागों में बांटी गयी है (1) औपचारिक व्यवस्था सम्बन्धी सिफारिशें (2) अनौपचारिक व्यवस्था सम्बन्धीसिफारिशें। औपचारिक के तहत सहशिक्षाका विकास, लडके एवं लडकियों दोनो के लिए समान पाठ्यक्रम कासुझाव, विद्यालय पूर्व शिक्षा, 06–14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए शिक्षाकी सार्वजनिकता, औपचारिकता शिक्षाव्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओं की सामाजिक प्रभाविकता को बढाने की बात की जो निरन्तर चलने वाली प्रक्रियाहोगी इसके तहत उन महिलाओं की स्थिति पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही जो, अपनी उम्र सामाजिकजिम्मेदारी और साक्षरता की कमी के कारण औपचारिकता व्यवस्था तक नहीं पंहुच पायी है।

- **लडकियों की शिक्षा, समान स्कूल व्यवस्था और विशेष बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा– 2005**,

असमके मुख्यमन्त्री तरूण गोगोई की अध्यक्षता में गठित समिति में स्त्री शिक्षाभी एक मुद्दा था। इससमिति का उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव को कम करने वाली विशेष नीतियों और प्रावधानों कापरीक्षण करना एवं शिक्षाके सभी क्षैत्रों में लडकियों एवं महिलाओं की भागीदारी को बढावा देना। इसकेअनुसार महिलाओं को दी जाने वाली शिक्षाके प्रति यांत्रिक दृष्टिकोण का विरोध करने की आवश्यकताहै जिससे जन्मदर को नियंत्रित करें, बेहतर स्वास्थ्य सेवायें, गिरती शिशु मृत्युदर आदि के लिएमहिलाओं को शिक्षित करने की जरूरत है। आज भी शिक्षालिंग आधारित रूढिवादिता से ग्रसित है।लडकियों की शिक्षाके संदर्भ में लक्ष्य की प्राप्ति को केवल उनके नामांकन और स्कूल में रूकने मात्रतक सीमित कर नहीं देखा जाये बल्कि सभी विषयों और स्तरों पर भी उनकी उपलब्धि और प्रदर्शन कोदेखा जाये तथा महिला शिक्षाको प्रारम्भिक स्तर से उपर भी सुनिश्चित किया जाये।उपरोक्त योजनाओं के साथ–साथ महिला शिक्षाके लिए समय–समय पर सरकार ने महिला समस्या,कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, गोरा देवी कन्याधन योजना, बेटी बचाओं, बेटी पढाओं योजना, राष्ट्रीयमहिला सशक्तिकरण मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, उडान आदि योजनाये भी चलायी है। अभी तक हमें लगभगप्रत्येक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सभी क्षैत्रों में लिंग आधारित भेदभाव दिखायी दे रहा है। इसलिए अभीभी संविधान द्वारा तय किया गया समानता का लक्ष्य हासिल करने के लिए विस्तृत अध्ययन एवं विश्लेषण कीआवश्यकता है। समाज इन भेदभावों के प्रति, सवेंदनशील एवं चिन्तनशील हो, महिला स्वयं अपने अधिकारों केप्रति सजग हों और यह तभी संभव होगा जब उनकी पंहुच शिक्षातक होगी। लडकियों को शिक्षित करने कीउपयोगिता को रूढिबद्ध दायरों में ही रखकर देखने के स्थान पर उनकी शिक्षाको बौद्धिक तौर पर स्वतन्त्र होनेसे जोडकर देखना होगा तभी शिक्षाका लक्ष्य संवैधानिक लक्ष्यों से मिल पायेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. राष्ट्रीय स्त्री शिक्षासमिति, 1958
2. हँसा मेहता समिति, 1962
3. भक्तवत्सलम् समिति, 1963
4. भारतीय संविधान – अनुच्छेद 14, 15 एवं 16
5. विश्वविद्यालय शिक्षाआयोग, 1948–49
6. माध्यमिकशिक्षाआयोग, 1952–53
7. भारतीय संविधान – अनुच्छेद 21A
8. भारतीय संविधान – अनुच्छेद 51 A(E)
9. राष्ट्रीय शिक्षानीति–1986
10. प्रोग्राम ऑफ एक्शन–1992
11. राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति, 2001
12. कोठारी शिक्षाआयोग, 1964–66
13. समानता की ओर महिलाओं की स्थिति पर गठित समिति, 1971–74